

भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त
आयकर भवन मकबूल आलम रोड, वाराणसी
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12AA(1)(b)(i) के आधीन आदेश

दिनांक : 06.03.2013

संस्था / न्यास Matri Shree Charitable Trust, Plot No.11, Navodit Nagar Extention, Mahmoorganj, Varanasi
पैन नं-AADTM2795D

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12AA(1) की 'उपधारा (b) में निहित शवित्रों के तहत संस्था / न्यास Matri Shree Charitable Trust, Plot No.11, Navodit Nagar Extention, Mahmoorganj, Varanasi को आयकर अधिनियम की धारा 12ए के उद्देश्यों के लिए दिनांक 01.04.2012 से पंजीकृत किया जाता है। पंजीकरण निम्न शर्तों के तहत न्यायसमत होगा।

- (1) संस्था / न्यास अपनी आय को पूरे या धार्मिक प्रयोजनों के लिए भारत में प्रयोग करेगी, जहाँ ऐसी आय भारत में ऐसा प्रयोजनों में प्रयोग किया जाने हेतु सचित की जाती है, वहाँ उस परिणाम तक जिस तक इस प्रकार सवित्रों की गई या अलग रखी मर्यादा आय कुल आय का 15 प्रतिशत या अन्य कोई प्रतिशत जो समय-समय पर आयकर अधिनियम के तहत निपारित किया जाएगा से अधिक नहीं होगी तथा यह आयकर अधिनियम की धारा 11(2) की शर्तों का पालन करेगी।
- (2) संस्था / न्यास अपने निवेशों को आयकर अधिनियम की धारा 11(5) में निर्दिष्ट रूपरूप और पद्धति के अनुसार रखेगी।
- (3) यह आदेश व्यापार से उद्भूत किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। यह सिवाय उन परिस्थितियों को छाड़कर जबकि व्यापार संस्था के लक्ष्यों का प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाए एवं उस व्यापार की लेखा बहिर्या अलग से रखी जाए।
- (4) संस्था / न्यास आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत अपनी आयकर विवरणी दाखिल करेगी।
- (5) संस्था / न्यास अपने आय का कोई भी अंश किसी विशिष्ट धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लाभ हेतु प्रयोग नहीं करेगी।
- (6) संस्था / न्यास आयकर अधिनियम की धारा 13 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लाभ हेतु अपनी किसी आय या सम्पत्ति वज्र पत्थर या अदात्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं करेगी।
- (7) यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि संस्था / न्यास के किया कलाप उसके उद्देश्यों से भिन्न अथवा असंगत है अथवा संस्था / न्यास के किया कलाप प्रामाणिक (Genuine) नहीं रहे तो आयकर अधिनियम की धारा 12AA(3) के अन्तर्गत इस पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है।
- (8) धारा 12ए के अन्तर्गत की पंजीयन की वधता संस्था / न्यास का रजिस्ट्रेशन ऑफ साराइटी के यहाँ पंजीकरण की वधता पर ही मान्य होगा।

Sd/-

(डी०८०००५३)
आयकर आयुक्त, वाराणसी

फॉर्म सं. आ०३१०/६२/१२ए/वाराणसी/१२६/ २०१२-१३ /12171/1
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाची हेतु प्रेषित -

दिनांक 06.03.2013

1. संचिव / अध्यक्ष / न्यास, संस्था / Matri Shree Charitable Trust, Plot No.11, Navodit Nagar Extention, Mahmoorganj, Varanasi
2. अपर / सायुक्त आयकर आयुक्त परिषेत्र VII/III वाराणसी।
3. उप / सहायक आयकर आयुक्त परिषेत्र I/II/III वाराणसी को इस आशय के साथ संस्था / न्यास की धारा 12ए के अन्तर्गत पंजीकरण मात्र ही संस्था / न्यास का धारा 11 से 13 तक कर मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। संस्था / न्यास द्वारा दाखिल विवरणी तथा अन्य प्राप्ति के आधार पर ही निर्धारण अधिकारी को इस परिणाम पर पहुंचना है कि संस्था न्यास कर मुक्ति के लिए याहिन सभी शर्तों को पूरा करती है अथवा नहीं। उक्त दृष्टिकोण माननीय अधीकरण नई दिल्ली द्वारा भी मे० ज्योति क्रमा सोसायटी (ITA2765/DEL/02) तथा विभिन्न गार्डिंग समितियों के बाद में पारित आदेश में लिया गया है। यदि संस्था / न्यास गविष्य में कभी भी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 से 13 तक निहित सभी याहिन शर्तों को पूर्ण नहीं करती है तो कर मुक्ति देय नहीं होगी तथा 12ए (3) के अन्तर्गत उसका पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

अमौरा मिश्र

(ओपरेटरिंग)
आयकर अधिकारी (कु ११)
कृत आयकर आयुक्त
वाराणसी



भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त
आयकर भवन, मकबूल आलम रोड, वाराणसी

आयकर अधिनियम 1961 का धारा : 80G(5)(vi) के आधीन आदेश

दिनांक : 06.03.2013

संस्था / न्यास Matri Shree Charitable Trust, Plot No.11, Navodit Nagar Extension, Mahmoorganj, Varanasi
पैन नं— AADTM2795D

उपरोक्त विषय पर आपके आवेदन पत्र के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि संस्था / न्यास Matri Shree Charitable Trust, Plot No.11, Navodit Nagar Extension, Mahmoorganj, Varanasi को दिया गया दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G(5)(vi) के अन्तर्गत दानदाता के पक्ष में करमुक्त होगा। यशर्ते कि उसकी रकम प्रावधान में निहित रीमा में हो और निम्नलिखित शर्तों का पालन किया गया हो।

- (1) दानदाता को जारी की जाने वाली रसीद में उस आदेश की संख्या और तारीख व करमुक्ति किस कर निर्धारण वर्ष (वित्तीय वर्ष) से दर्श है, रपट लिखा हो।
- (2) आय एवं व्यय का हिसाब वार्षिक विवरण संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के पास निश्चिह्न रूप से प्रस्तुत किया जाए।
- (3) यह कर मुक्ति कर निर्धारण वर्ष 2013-14 (वित्तीय वर्ष 2012-13) से देय है।

Sd/-

(डॉ.एन.मिश्र)
आयकर आयुक्त, वाराणसी

फाँ स० आ०३००/वारा० / ६२/ ८०जी/ रजिस्टर प०क०३०— १४२/२०१२-१३

दिनांक: 06.03.2013

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यकारी हेतु प्रेषित —

12171
— 2 —

- (1) संचिय / अध्यक्ष / न्यास, संस्था / Matri Shree Charitable Trust, Plot No.11, Navodit Nagar Extension, Mahmoorganj, Varanasi संस्था / न्यास के द्वारा आवेदन पत्र वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रस्तुत किया गया था, अतः यह कर मुक्ति की कर निर्धारण वर्ष 2013-14 अर्थात् वित्तीय वर्ष 2012-13 से देय है।
- (2) संस्था / न्यास को यह सुनिश्चित कराना होगा कि संस्था / न्यास की प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष की आयकर विवरण, वार्षिक आय-व्यय के अभिलेखों के प्रति के साथ, सबंधित कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में आयकर प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत जमा को जाय।
- (3) इसके अतिरिक्त यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संस्था / न्यास की आयकर विवरणी की जाच के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई जो संस्था / न्यास के मूल उददेश्यों से गिन अथवा असंगत पाए गए अथवा संस्था / न्यास के किया कलाप प्रगाढ़णक नहीं रहे तो, आयकर आयुक्त को पूर्ण अधिकार होगा कि उक्त संस्था / न्यास को पूर्ण में जारी आय की धारा 80G(5)(vi) के अधीन मान्यता को तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दे।
- (4) अपर / संयुक्त आयकर आयुक्त, परिषेत्र I/II/III वाराणसी।
- (5) उपर / सहायक आयकर आयुक्त, परिषेत्र I/II/III वाराणसी को जो उपरोक्त संस्था / न्यास के आय एवं व्यय के वार्षिक लेखों की जाच करे कि गोड़ के आदेश संख्या 3 / फाँस० 367 / 175 / 47 / 70 / आइटी०४० दिनांक 08.10.1972 के अनुसार सालाना प्रस्तुत करेंगे और यह सुनिश्चित करें कि निर्धारिती प्रत्येक वर्ष आयकर विवरणी समय से दाखिल कर रहा है। उसके अतिरिक्त आयकर विवरणी की जाच करने पर यदि निर्धारण अधिकारी द्वारा संस्था / न्यास के वार्षिक आय-व्यय लेखों के किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है जो संस्था / न्यास के मूलभूत उददेश्यों से गिन अथवा असंगत है या संस्था / न्यास के कार्यकलाप प्रमाणिक नहीं हैं तो उसको अस्था अपनी टिप्पणी सहित अपनी परिषेत्र के अपर / संयुक्त आयकर आयुक्त के माध्यम से यथा समय इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ताकि निम्नानुसार आयकर आयुक्त द्वारा प्रदत्त आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-80G(5)(vi) के आधीन मान्यता रद्द की जा सके।

मान्यता
(ओपी०सिंह)

आयकर अधिकारी (म०—१)
कृते आयकर आयुक्त,
वाराणसी

